

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या:- 03/2011 (रैफरेन्स)




राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

.....प्रार्थी

बनाम

1. परभाती पुत्र चरना कौम जोगी (मृतक)
- 1/1 गिराजी पत्नी स्व० घनश्याम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/2 उम्गेदसिंह पुत्र घनश्याम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/3 किशनसिंह पुत्र घनश्याम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/4 मोहनसिंह पुत्र घनश्याम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/5 पार्वती पुत्री घनश्याम पत्नी जगन्नाथ जोगी गोवर्धन गेट डीग, भरतपुर।
- 1/6 यादराम पुत्र भूले कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/7 शंकर पुत्र भूले कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/8 ओमी पुत्र भूले कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/9 सफेदी पत्नी स्व० रघुवीर कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/10 रमेश पुत्र रघुवीर कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/11 डिगम्बर पुत्र रघुवीर कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/12 धर्मसिंह पुत्र रघुवीर कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/13 मोहनसिंह पुत्र रघुवीर कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/14 वीरीसिंह पुत्र रघुवीर कौम जोगी सा० कुरवारा तहसील कुम्हेर।
- 1/15 रामा पुत्री पूरन नवासी परभाती जोगी ग्राम ककरा तहसील नगर जिला भरतपुर।
- 1/16 देवीसिंह पुत्र पूरन नवासा परभाती जोगी ग्राम ककरा तहसील नगर जिला भरतपुर।
- 1/17 भागीरथ पुत्र पूरना नवासा परभाती जोगी ग्राम ककरा तह० नगर जिला भरतपुर।
- 1/18 विजय पुत्री भोवल नवासी परभाती जोगी ग्राम ककरा तह० नगर जिला भरतपुर।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

- 1/19 कमलेश पुत्री भोवल नवासी परभाती ग्राम ककरा तह0 नगर जिला भरतपुर।
- 1/20 समीता पुत्री भोवल नवासी परभाती ग्राम ककरा तह0 नगर जिला भरतपुर।
- 1/21 सुरेश पुत्र भोवल नवासा परभाती ग्राम ककरा तह0 नगर जिला भरतपुर।
- 1/22 सोहनसिंह पुत्र भोमल नवासा परभाती ग्राम ककरा तह0 नगर जिला भरतपुर।
- 1/23 मुकेश पुत्र भोमल नवासा परभाती ग्राम ककरा तह0 नगर जिला भरतपुर।
- 1/24 लक्ष्मणसिंह पुत्र परभाती जोगी सा0 कुरवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
- 1/25 मोतीराम पुत्र परभाती जोगी सा0 कुरवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
- 1/26 नाहरसिंह पुत्र परभाती जोगी सा0 कुरवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. शिवदेई पत्नी स्वरूप जाति जाट सा0 कुरवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
निरस्त करने नामान्तरकरण संख्या 125 आराजी खसरा नम्बर 452
रकबा रकबा 14 विस्वा किस्म वारानी माफी मंदिर श्री गोपाल जी
वाकै ग्राम कुरवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :


1. राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री नीरपालसिंह वकील अप्रार्थी0।
3. श्री विजयसिंह कुंतल अप्रार्थी 2



निर्णय

दिनांक : 29.01.2021

प्रार्थी तहसीलदार द्वारा द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस
आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी0 के हक में नियमन/आवंटन विधिविरुद्ध होने के
कारण आराजी खसरा नम्बर 452 रकबा 14 विस्वा किस्म वारानी माफी मंदिर गोपाल जी दर्ज
स्वातेदारी तथा इसकी प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 125 व 197 वगैरह को



अनिल कुमार
भरतपुर (पत्र.)

निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि को पूर्व की भांति माफी मंदिर श्री गोपाल जी में दर्ज किये जाने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जावे।

रैफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी० को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी० की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि खसरा नम्बर 452 रकबा 14 विस्वा वारानी पर माफी मंदिर श्री गोपाल जी व काशत परभाती पुत्र चरना कौम जोगी सा० देह शिकमी वाकै ग्राम कुरवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर जमाबन्दी सम्बत 2013-2016 में अप्रार्थी० सा० देह शिकमी दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि राजस्व रिकार्ड में माफी मंदिर श्री गोपाल जी के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर नियमों के विरुद्ध राजस्व रिकार्ड में परभाती खातेदार दर्ज किया हुआ है। रेफरेन्स में कोई म्याद नहीं होती है। अतः जरिये नामान्तरकरण 125 से विवादित आराजी माफी मंदिर श्री गोपाल जी अप्रार्थी परभाती के नाम स्वीकार किया गया एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रगणों के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण 197 निरस्त किये जाने एवं उसके बाद अप्रार्थीगण के नाम हो गई खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन कराये जाने एवं विवादित आराजी पूर्व की भांति माफी मंदिर श्री गोपाल जी दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रेषित किया जावे।


योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहसीलदार कुम्हेर द्वारा गलत रूप से रैफरेंस पेश किया गया है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी काफी समय से काशत करता चला आ रहा है इसी लिये अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। योग्य अभिभाषक ने यह भी बताया कि विवादित आराजी का तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। तहसीलदार द्वारा 60 साल बाद नामान्तरकरण को चैलेज किया गया है जो गलत एवं म्याद बाहर है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने यह भी जाहिर किया कि जमाबन्दी संवत 2009-2010 में भूमि मंदिर के नाम नहीं थी। तहसीलदार द्वारा गलत रिकार्ड प्रस्तुत कर नामान्तरकरण को निरस्त कराना चाहते जो गलत है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने


अभिविक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

केधनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2013(1) पेज 420, आर.आर.टी. 2014-15 पेज 138, आर. आर.टी. 2011-12 पेज 660 एवं आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1121 उद्धरित करते हुये रैफरेस प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत रैफरेस आराजी खसरा नम्बर 452 रकवा 14 विस्वा जो कि माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज थी जिसे जरिये नामान्तरकरण संख्या 125 के द्वारा परभाती पुत्र चरना कौम जोगी को शिकमी से खातेदार दर्ज कर दिया गया एवं इसके बाद दिनांक 03.06.1969 अप्रार्थीगण के नाम विरासतन दर्ज हुये हैं, को कलमजन किये जाने एवं विवादित आराजी को पुनः राजस्व रिकार्ड में माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी नजीरों का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि संवत् 2009-10 में विवादित आराजी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज नहीं थी एवं प्रस्तुत रैफरेस गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2013-2016 ग्राम कुरवारा आराजी खसरा नम्बर 452 रकवा 19 विस्वा के कॉलम संख्या 4 में शामलात थोक मजकूर एवं कॉलम संख्या 5 कृषक विवरण में माफी गोपाल जी महाराज बकाशत परभाती पुत्र चरना कौम जोगी सा० देह शिकमी दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत नामान्तरकरण 125 के कॉलम सं० 5 में परभाती बल्द चरना कौम जोगी सा० देह शिकमी एवं कॉलम संख्या 12 में परभाती बल्द चरना कौम जोगी सा० देह खातेदार दर्ज है एवं विशिष्ट वाले कॉलम में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 19 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना स्पष्ट है। उपर्युक्त इन्द्राजों से आराजी खसरा नम्बर 452 रकवा 19 विस्वा का माफी मंदिर की भूमि होना स्पष्ट है। माफी मंदिर की भूमियां जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 द्वारा राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई एवं मंदिर मूर्ति की खुदकाशत की भूमियां मंदिर मूर्ति के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। इस सम्बन्ध में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 में प्रावधान अंकित है:-

धारा-9 "जागीर भूमियों के खातेदारी अधिकार- जागीर भूमि के प्रत्येक काशतकार को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में, जिसमें यह


अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी आनुवंशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।”

धारा-10 "खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार- किसी जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण की तारीख से किसी जागीरदार की कोई भी खुदकाश्त भूमि जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में धारित की गई समझी जायेगी, और उस गांव की दर पर उसके सम्बन्ध में निर्धारित किया जायेगा।”

हस्तगत प्रकरण में वाद ग्रस्त आराजी मंदिर माफी की खुदकाश्त भूमि दर्ज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण बतौर शिकमी दर्ज थे, अतः वे धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के हकदार हैं। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के समय संवत् 2009-10 में विवादित भूमि माफी मंदिर श्री गोपाल जी खुदकाश्त दर्ज थी। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र स.प. 3(2)राज. 6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक:राम/प. 63/न्याय/स्था/ 05/636-689 दिनांक 06.01.2011 के द्वारा संदर्भ करते हुये जारी किया है कि:-

“जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार-जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें अन्तर्हित हो उन काश्तकार को काश्तकारी में अनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। जागीरो के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।”



An
अतिरिक्त जिला क्लर्क
भारतपुर (राज.)


धारा 9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम के प्रारम्भ के समय से राजस्व रिकार्ड में काश्तकार के रूप में दर्ज व्यक्ति खातेदारी होने के अधिकारी है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा सम्बत 2013-2016 की जमाबन्दी के आधार पर ही रैफरेंस प्रस्तुत किया है जबकि धारा 9 अनुसार वक्त जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के समय की अर्थात् 2009-2010 के राजस्व रिकार्ड की स्थिति देखी जानी है। वक्त अधिनियम के लागू होने के समय राजस्व रिकार्ड की स्थिति का परीक्षण किये बिना ही तहसीलदार कुम्हेर ने रैफरेंस प्रस्तुत किया है। मात्र सम्बत 2013-2016 की जमाबन्दी के आधार पर रैफरेंस स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त न्यायिक संदर्भों, अधिनियम 1955 की धारा 19, जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र स.प.3(2)राज. 6/2007/14 दिनांक 24.07.2007 व राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक/ राम/प. 63/न्याय/स्था/ 05/636-689 दिनांक 06.01.2011 को ध्यान में रखते हुये रैफरेंस सारहीन होने से काबिल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि:-

उपरोक्त विवेचनानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जांच करे कि क्या विवादित आराजी जमाबन्दी सम्बत 2009-2010 में जमीन मंदिर श्री गोपाल जी के नाम खुदकाश्त दर्ज थी तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र दिनांक 06.01.2011 के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण कर यदि विवादित आराजी मंदिर माफी खुदकाश्त दर्ज पाई जाये तो ही पुनः रैफरेंस प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।




(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)